

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 25719/2018

राजस्थान राज्य, (श्री जसवंत प्रदर्शिनी एवं पशुपालन विभाग भरतपुर) संयुक्त निदेशक/ मेला अधिकारी, पशुपालन विभाग भरतपुर के माध्यम से

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. दिनेश चंद पुत्र मोतीलाल, निवासी अनाह गेट, बजरिया, जिला भरतपुर
2. ओम प्रकाश पुत्र मोतीलाल, निवासी अनाह गेट, बजरिया, जिला भरतपुर
3. अनिल कुमार पुत्र मोतीलाल, निवासी अनाह गेट, बजरिया, जिला भरतपुर
4. श्रीमती रेखा डब्ल्यू/ओ लोकेश कुमार, निवासी अनाह गेट, बजरिया, जिला भरतपुर
5. रजत पुत्र लोकेश कुमार, नाबालिग अपनी मां रेखा के माध्यम से निवासी अना गेट, बजरिया, जिला भरतपुर
6. हरदाई पत्नी महेश चंद, निवासी अना गेट, बजरिया, जिला भरतपुर
7. राजस्थान राज्य, तहसीलदार, भरतपुर के माध्यम से

----प्रतिवादी

से जुड़े

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 25953/2018

तहसीलदार, मेला अधिकारी, भरतपुर के माध्यम से

----प्रतिवादी

बनाम

1. दिनेश चंद पुत्र मोतीलाल, निवासी अनाह गेट, बजरिया, जिला भरतपुर।
2. ओम प्रकाश पुत्र मोतीलाल, निवासी अनाह गेट, बजरिया, जिला भरतपुर।
3. अनिल कुमार पुत्र मोतीलाल, निवासी अनाह गेट, बजरिया, जिला भरतपुर।
4. रेखा डब्ल्यू/ओ लोकेश कुमार, निवासी अनाह गेट, बजरिया, जिला भरतपुर।

5. रजत पुत्र लोकेश कुमार, अपनी मां रेखा के माध्यम से नाबालिग, निवासी अना गेट, बजरिया, जिला भरतपुर।
6. हरदाई पत्नी महेश चंद, निवासी अनाह गेट, बजरिया, जिला भरतपुर।
7. राजस्थान राज्य के माध्यम से तहसीलदार, भरतपुर।
8. राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर, भरतपुर के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	सुश्री माही यादव, एएजी, सुश्री अर्चना, एडवोकेट और श्री राहुल कुमार, एडवोकेट के साथ।
प्रतिवादी (ओं) के लिए	:	श्री राम प्रसाद शर्मा, सलाहकार। एवं श्री के.एस. राजावत, एडवोकेट. श्री प्रह्लाद शर्मा, सलाहकार के लिए।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

18/09/2024

1. इन रिट याचिकाओं पर सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि इनमें शामिल तथ्य और मुद्दे समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य एसबी सीडब्ल्यूपी संख्या 25719/2018 से लिए गए हैं।
2. ये याचिकाएं राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा पारित दिनांक 22.03.2018 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई हैं, जिसमें राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 7616/2015 को खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादी दिनेश चंद और ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 3937/2015 को स्वीकार किया गया था।
3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनेश चंद और ओम प्रकाश ने यह कहते हुए वाद दायर किया कि संबंधित भूमि उनके पूर्वजों के कब्जे में थी। शुरुआत में, मोतीलाल को गोद लेने वाले नंदकुमार उर्फ गुरुमुखदास इस भूमि पर खेती कर रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद यह भूमि मोतीलाल के कब्जे में आ गई। मोतीलाल की मृत्यु के बाद वादी/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पास भूमि का कब्जा था, हालाँकि राजस्व अभिलेखों में नंदकुमार उर्फ गुरुमुखदास के नाम की प्रविष्टियाँ गैर-जमा के रूप में जारी रहीं। खातेदार। 09.02.2015 को विभाजन

और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद का आदेश दिया गया। वादीगण ने अपील दायर कर प्रार्थना की कि संबंधित भूमि की पैमाइश की जाए, नया खसरा आवंटित किया जाए और सही मिलान क्षेत्रपाल बनाया जाए। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार कर ली। वादीगण द्वारा द्वितीय अपील संख्या 3937/2015 दायर की गई, जबकि राज्य सरकार ने मेला के माध्यम से द्वितीय अपील संख्या 7616/2015 दायर की। अधिकारी, पशुपालन विभाग। राजस्व मंडल ने दिनांक 22.3.2018 के सामान्य आदेश द्वारा वादी की अपील स्वीकार कर ली और राज्य की अपील खारिज कर दी। अतः वर्तमान याचिका।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूमि जसवंत के नाम पर दर्ज की गई थी प्रदर्शनी एवं पशुपालन विभाग, भरतपुर (संक्षेप में 'पालन विभाग'), राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई भूमि के संबंध में एक शिकायत पर अपीलीय प्राधिकारी ने खसरा संख्या से पशुपालन विभाग का नाम हटाकर और प्रविष्टि को खसरा संख्या 3228 से 3230 रकबा 0.87 हेक्टेयर तक सीमित करके राजस्व प्रविष्टियाँ बदलने का निर्देश दिया। पशुपालन विभाग को पक्षकार बनाए बिना या सुनवाई का अवसर दिए बिना ही यह आदेश पारित कर दिया गया। तर्क यह है कि सिविल वाद संख्या 382/2002 और अपील संख्या 166/2003 की बर्खास्तगी के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया। तर्क यह है कि गुरुमुखदास की मृत्यु के बाद खसरा संख्या 956 की भूमि राज्य में निहित हो गई और गुरुमुखदास ने मोतीलाल को गोद ले लिया। सिद्ध नहीं हुआ।

5. प्रतिवाद के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी ने खसरा संख्या 3228 से 3230 तक की राजस्व प्रविष्टियाँ पशुपालन विभाग के पक्ष में करने का निर्देश दिया था। पशुपालन विभाग का खसरा संख्या 3231 से 3240 तक कोई अधिकार नहीं है, जिसके लिए वादी के पक्ष में नामांतरण का आदेश दिया गया था। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता खसरा संख्या 3231 से 3240 तक की राजस्व प्रविष्टियों से प्रभावित नहीं है।

6. आगे बढ़ने से पहले, दिनांक 26.06.2015 के अपील आदेश के प्रभावी भाग का अनुवाद उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:

"अतः यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को पुराने खसरा संख्या 956 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा से निर्मित नवीन खसरा संख्या 3231/0.12 और 3232/0.01 और 3233/0.12 और 3234/0.04 और 3235/0.08 और 3239/0.08 और 3240/0.16 और 3236/0.06 और 3237/0.10 और 3238/0.08 के सही

स्वरूप की कुल भूमि 10 रकबा 0.85 हेक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है। जसवंत की वर्तमान प्रविष्टि निरस्त करने के पश्चात् इन खसरा नंबरों पर प्रदर्शनी, खसरा नंबर 3228, 3229, 3230 रकबा 0.87 हेक्टेयर जसवन्त के नाम दर्ज हो प्रदर्शनी। दिनांक 3.6.2015 को अपीलार्थी द्वारा समझौता विलेख प्रस्तुत किया गया, जो प्रमाणित हुआ। जिसके अनुसार, अपीलार्थी 1. ओमप्रकाश 15, अपीलार्थी 2. दिनेश चंद 41, प्रतिवादी 1. अनिल कुमार 14, प्रतिवादी 2. 4, संयुक्त रूप से 15 खातेदार काश्तकार होंगे और खातेदारों को तदनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।“

7. अपीलीय प्राधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि राजस्व प्रविष्टि पशुपालन विभाग के नाम पर थी और राजस्व रिकॉर्ड से पशुपालन विभाग का नाम हटाने का आदेश पारित किया गया था। खसरा संख्या 3231/0.12, 3232/0.01, 3233/0.12, 3234/0.04, 3235/0.08, 3239/0.08, 3240/0.16, 3236/0.06, 3237/0.10, 3238/0.08 कुल नाप भूमि 10 रकबा 0.85 हेक्टेयर और खसरा संख्या 3228 से 3230 तक पशुपालन विभाग के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया। ये निर्देश पशुपालन विभाग के पीछे जारी किए गए थे। अपीलीय प्राधिकारी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, बिना किसी स्थल निरीक्षण या तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति आमंत्रित किए, केवल आदेश पारित कर दिया।

8. अपीलीय प्राधिकारी और बोर्ड ने इस बात पर विचार किया कि खसरा संख्या में परिवर्तन हुआ था। राजस्व बोर्ड ने इस आधार पर कि संबंधित भूमि प्रतिवादी के कब्जे में थी, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को बरकरार रखा। बोर्ड ने यह मान लिया कि खसरा संख्या 3228 से 3230 में पशुपालन विभाग द्वारा पशु मेला आयोजित किया जा रहा था क्योंकि वहाँ स्थित तालाब पानी से भरा हुआ था।

9. दूसरा पहलू यह है कि बोर्ड ने सिविल वाद संख्या 382/2002 में पारित निर्णय और डिक्री तथा अपील में दिए गए आदेश को रिकॉर्ड में लेते हुए आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत आवेदन को अनुमति दे दी, लेकिन इनके प्रभाव पर विचार नहीं किया गया।

10. बोर्ड ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर गौर किया कि अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक प्रतिकूल आदेश पारित किया था, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं किया।

11. उपरोक्त के मद्देनजर और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना या पक्षकार बनाए बिना पारित किया गया था, बोर्ड और अपीलीय प्राधिकारी के आदेश अपास्त किए जाते हैं। प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, विधि के अनुसार अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने हेतु मामला प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है।
12. रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।
13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है।

(अवनीश झिंगन), जे

बृजेश /39-40

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी